



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2661]

नई दिल्ली, बुधवार, नवम्बर 9, 2016/कार्तिक 18, 1938

No. 2661]

NEW DELHI, WEDNESDAY, NOVEMBER 9, 2016/KARTIKA 18, 1938

वित्त मंत्रालय

(आर्थिक कार्य विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 9 नवम्बर, 2016

का.आ. 3416(अ)--केंद्रीय सरकार, भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 (1934 का 2) की धारा 26 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (ii), तारीख 8 नवम्बर, 2016 में प्रकाशित भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, आर्थिक कार्य विभाग की अधिसूचना संख्यांक का.आ. 3408(अ), तारीख 8 नवम्बर, 2016 में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :-

1. उक्त अधिसूचना के पैरा 1 के खंड (ज) के पश्चात्, निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किए जाएंगे, अर्थात् :-

- "(झ) चिकित्सकों के नुस्खों और पहचान के सबूत के साथ प्रस्तुत करने पर सभी फार्मेशियों का संदाय करने के लिए ;
- (ज) राज्य और राष्ट्रीय राजमार्गों के सभी टोल प्लाजा पर संदाय करने के लिए ;
- (ट) द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस सिलेंडरों की खरीद पर संदाय के लिए ;
- (ठ) रेल द्वारा यात्रा के दौरान, रेल पर खानपान सेवाओं का संदाय करने के लिए ;
- (ड) अर्द्धशहरी और मेट्रो रेल सेवाओं द्वारा यात्रा के लिए टिकट क्रय करने हेतु संदाय करने के लिए ;
- (ढ) भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा अनुरक्षित किसी संस्मारक के लिए प्रवेश टिकट को क्रय करने हेतु संदाय करने के लिए ।"

[फा. सं. 10/03/2016-सी.वाई. I]

डॉ. सौरभ गर्ग, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF FINANCE
(Department of Economic Affairs)
NOTIFICATION

New Delhi, the 9th November, 2016

S.O. 3416(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 26 of the Reserve Bank of India Act, 1934 (2 of 1934), the Central Government hereby amends the notification of the Government of India, Ministry of Finance, Department of Economic Affairs number S.O. 3408(E) dated the 8th November, 2016 published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii) dated the 8th November, 2016, namely:—

1. In the said notification, in paragraph 1, after clause (h), the following clauses shall be inserted, namely:—
- “(i) for making payments in all pharmacies on production of doctor’s prescription and proof of identity;
 - (j) for making payments on all toll plazas on the State and National Highways;
 - (k) for payments on purchases LPG gas cylinders;
 - (l) for making payments to catering services on board, during travel by rail;
 - (m) for making payments for purchasing tickets for travel by suburban and metro rail services;
 - (n) for making payments for purchase of entry tickets for any monument maintained by the Archeological Survey of India.”.

[F. No. 10/03/2016-Cy.I]
Dr. SAURABH GARG, Jt. Secy.